निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1933 (शo)

(सं0 पटना 128) पटना, शुक्रवार, 8 अप्रील 2011

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2011

सं० निग/सारा–2(पथ)–56/2003(अंश–आ)–3937(एस)—श्री ब्रजभूषण प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1 जहानाबाद, सम्प्रति भवन प्रमंडल, गोपालगंज के पथ प्रमंडल संख्या 1 जहानाबाद के पदस्थापन काल के दौरान बिना कार्य कराये फर्जी विपत्रों के माध्यम से राशि निकासी के संबंध में मार्च 2001 में जिला पदाधिकारी जहानाबाद से प्राप्त सूचना के आलोक में विभाग द्वारा उड़नदस्ता दल से जॉच कराया गया। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रतिवेदन एवं उड़नदस्ता दल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया फर्जी राशि की निकासी को प्रमाणित पाते हुए पथ प्रमंडल संख्या–1 जहानाबाद के संलिप्त अभियंताओं को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के साथ–साथ संलिप्त अभियंताओं तथा संवेदक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री ब्रजभूषण प्रसाद तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1 जहानाबाद को अधिसूचना संख्या 3366 (एस), दिनांक 28 मई 2001 द्वारा निलंबित किया गया तथा कालांतर में अधिसूचना संख्या 3900 (एस), दिनांक 20 जून 2005 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

2. बिना कार्य कराये संवेदक से मिलीभगत कर फर्जी विपत्र बनाने, सरकारी राशि का गवन करने के आरोप के लिए श्री ब्रजभूषण प्रसाद के विरुद्ध जहानाबाद थाना कांड संख्या–254/2001 दर्ज किया गया जिसमें विधि विभाग के आदेश संख्या 3308/जे0, दिनांक 21 जुलाई 2004 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. उड़नदस्ता प्रमंडल के जॉच प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में पथ प्रमंडल संख्या–1 जहानाबाद अंतर्गत मखदुमपुर–बराबर पथ, अरवल–जहानाबाद पथ एवं पाली–अरवल–जहानाबाद पथ में फर्जी विपत्र बनाकर सरकारी राशि के दुर्विनियोग, जॉच के दौरान वांछित कागजात उपलब्ध नही कराने के 6 आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक 3623 (एस), दिनांक 23 मई 2002 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1647, दिनांक 9 अक्तूबर 2004 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध गठित 6 आरोपों में से किसी भी आरोप को प्रमाणित नही पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षा में पाया गया कि उक्त अनियमितता के मामले मे दर्ज जहानाबाद थाना कांड संख्या 254/2001 में पुलिस अधीक्षक जहानाबाद के ज्ञापांक 502, दिनांक 23 मार्च 2002 समर्पित पर्यवेक्षण टिप्पणी में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया गया। पर्यवेक्षण टिप्पणी के

अनुसार मखदुमपुर–बराबर पथ में संवेदक श्री ललित कुमार द्वारा बगैर कार्य कराये कनीय अभियंता श्री सुनील कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता श्री नलिन विलोचन एवं कार्यपालक अभियंता श्री ब्रजभूषण प्रसाद के साथ आपराधिक षडयंत्र कर तीन विपत्र बनवाया गया। पहला 8,29,521 रूपये का दूसरा 5,64,731 रूपये का एवं 6,73,828 रूपये का जिसमें से दूसरे एवं तीसरे विपत्र पर जिलापदाधिकारी जहानाबाद द्वारा भुगतान पर रोक लगाई गई परंतु पहला विपत्र 8,29,521 रुपये की निकासी की गई। इसके अतिरिक्त जहानाबाद अरवल पथ में भी 20,21000 रुपये का भुगतान करने तथा जहानाबाद अरवल पथ के 8 वें कि0मी0 में ग्राम–छैना स्थित पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य को आधा अधूरा छोड़कर कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के साथ आपराधिक षंडयंत्र कर 1,82593 रुपये का भुगतान लेने की बात अनुसंधान के क्रम में पायी गयी। उक्त आधार पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–560 (एस), दिनांक 22 जनवरी 2009 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री प्रसाद के पत्रांक–1–कैम्प, पटना, दिनांक 5 अक्तूबर 2009 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में इनके द्वारा मुख्य रूप से जहानाबाद थाना कांड संख्या 254/2001 के अनुसंधान प्रतिवेदन की मांग किये जाने के बाद भी इन्हें उपलब्ध नही कराये जाने, संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित नही पाये जाने के बाद भी द्वितीय कारण पृच्छा करने तथा आरक्षी अधीक्षक, जहानाबाद के प्रतिवेदन पर आधारित द्वितीय कारण पृच्छा को अप्रासंगिक बताते हुए आरक्षी अधीक्षक जहानाबाद के संबंधित कांड में अद्यतन प्रतिवेदन में इन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा का उल्लेख करते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

6. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा साक्ष्य स्वरूप आरक्षी अधीक्षक जहानाबाद के पर्यवेक्षण टिप्पणी की असत्यापित छाया प्रति संलग्न किया गया है, जिसमें अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी जहानाबाद की टिप्पणी को उद्धृत किया गया है जिसमें अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, जहानाबाद ने विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर इन्हें आरोप मुक्त माना है। यह सर्वथा अमान्य है क्योंकि मखदुमपुर–बराबर पथ एवं जहानाबद अरवल पथ में चालू विपत्रों एवं जिला पदाधिकारी जहानाबाद के पत्र से स्पष्ट होता है कि फर्जी विपत्र बनाकर राशि की निकासी श्री प्रसाद के द्वारा की गई है। इस आधार पर आरोप को प्रमाणित पाते हुए श्री प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करते हुए फर्जी विपत्रों के आधार पर निकासी की गयी राशि की वसूली के दंड पर सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 6620 (एस) अनु0, दिनांक 7 मई 2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2452, दिनांक 21 दिसम्बर 2010 द्वारा विभागीय दण्ड के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई । तदुपरांत श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति कार्यपालक अभियंता को सेवा से बर्खास्त करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी। अतएव श्री ब्रजभूषण प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1 जहानाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज को उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(क) इन्हें तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 128-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in